

बिहार विधान सभा के लिए अतारांकित प्रश्न

<p>श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-11.05.12 के लिए पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं०-पुन-7 के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत शाम्हो अकहा-कुरहा प्रखण्ड में 19.12.11 को विकु यादव पे०-चानो यादव सहित 3 परिवार वार्ड नं०-13, पंचायत अकबरपुर बरारी एवं दि०-23.04.11 को राहुल कुमार पासवान सहित 2 परिवार पंचायत अकहा-कुरहा के घर में अचानक आग लग गई परन्तु सूचना के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा राहत एवं इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि दि०-19.12.2011 को श्री चानो यादव पे० डीलन यादव व इनके दो पुत्रों विकु यादव और कांग्रेस यादव सा० वार्ड नं-13 पंचायत अकबरपुर बरारी के भूसा घर में आग लगी थी । राज्य आपदा रिस्पॉस कोष के मानदर के अनुसार इस प्रकार के मामले में साहाय्य अनुदान देय नहीं है । दि०-23.04.11 को मात्र श्री राजकुमार पासवान, अकहा-कुरहा के घर में अग्निकांड हुआ था। दिनांक -23.04.11 को हुए अग्निकांड पीड़ित श्री राजकुमार पासवान, पिता-छट्टू पासवान, सा०-अकहा कुरहा को नगद अनुदान 2250/- (दो हजार दो सौ पचास रु०) तथा 50 (पचास) किलो चावल एवं 50 (पचास) किलो गेहूँ दिया गया था । इसके अतिरिक्त इन्हें इन्दिरा आवास भी स्वीकृत कर 35000/- (पैंतीस हजार रु०) का चेक भी दिया गया ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०अता०प्र०-70 / 2012 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक -4290 दि०-2.05.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / वि०स०अता०प्र०-70 / 2012 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव